

आदेश

राज्य के समस्त समन्वित राजकीय उमावि./माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10/12 तक संचालित) में कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्युकेशन (SIQE) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त एस आई ई आर टी, यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के मध्य एक एम ओ यू किया गया है। एम ओ यू के तहत परियोजना के शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों से सम्बन्धित निर्णय लेने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक समूह (State Academic Group) का गठन किया जाता है। समूह में निम्न सदस्य होंगे :-

- | | |
|---|-------------------|
| • निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर | — अध्यक्ष |
| • उपायुक्त रामाशिप. जयपुर | — सदस्य |
| • राज्य समन्वयक, रामाशिप. जयपुर | — सदस्य |
| • उपनिदेशक, (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी),
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर | — सदस्य सचिव |
| • यूनिसेफ | — सदस्य |
| • निदेशक/प्रतिनिधि, बोध शिक्षा समिति | — सदस्य |
| • मनोनीत सदस्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(2 सदस्य रोटेशन) | — आमन्त्रित सदस्य |

राज्य शैक्षिक समूह समस्त शैक्षिक एवं तकनीकी मुद्दों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह समूह (SAG) -

- परियोजना से जुड़े शैक्षिक एवं तकनीकी आयामों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए अधिकृत होगा।
- परियोजना के समस्त शैक्षिक एवं तकनीकी दस्तावेजों को तैयार करने, प्रमाणित करने एवं परियोजना परिचालन समिति के अनुमोदन के लिए संस्तुति देने के लिए अधिकृत होगा।
- परियोजना के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्य सामग्री आदि का निर्माण, समीक्षा एवं अनुमोदन के पश्चात परियोजना परिचालन समिति को अग्रेषित करने के लिए अधिकृत होगा।
- परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप प्रगति की समीक्षा करने के लिए अधिकृत होगा तथा प्रगति एवं बदलावों के प्रमाण के रूप में दस्तावेज, आंकड़े एवं रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- शिक्षक प्रशिक्षण मेन्युअल एवं व्यूह रचनाओं को तैयार कर अन्तिम रूप देने के लिये उत्तरदायी एवं अधिकृत होगा।
- शैक्षिक उन्नयन हेतु अन्य राज्यों एवं संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन कर परियोजना में गुणवत्तापूर्ण बदलाव करने हेतु सुझाव देने के लिए अधिकृत होगा।
- परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के शोध कार्यों को तकनीकी रूप से नेतृत्व प्रदान करने के लिए अधिकृत होगा।
- परियोजना से संबंधित समस्त आदेशों, परिपत्रों, दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर उन्हें परियोजना के लक्ष्यों के अनुरूप आवश्यक शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों के आधार पर समीक्षा करने के लिए अधिकृत होगा।

- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा अभियान, निदेशालय या अन्य किसी सक्षम संस्था द्वारा परियोजना के संदर्भ में चाहे गए दस्तावेजों या अवधारणा पत्रों को तैयार करने के लिए अधिकृत होगा।
 - शैक्षिक आगत-निर्गत (Inputs & Outputs) की समीक्षा करेगा।
- राज्य शैक्षिक समूह की बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार एवं आवश्यकतानुसार आयोजित की जाये।

(नरेशपाल गंगवार)
शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सहायक, शासन सचिव, मा.शि., राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
8. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
9. उपायुक्त, रामाशिप. जयपुर।
10. राज्य समन्वयक, जयपुर।
11. यूनिसेफ, जयपुर।
12. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
13. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिला।
14. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, रामाशिप.) निदेशालय, मा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
15. उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं क्वालिटी, रामाशिप. जयपुर।
16. जि.शि.अ., मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला।
17. कार्यालय प्रति।

शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।